यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी** के माह 12/2016 से माह 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान, व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.08.2018 से 31.08.2018 तक संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री वी.पी.सिंह एवं श्री ए.के.गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.12.2016 से 29.12.2016 तक संपादित की गयी थी। जिसमें माह 03/2009 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में वन्य जीव संरक्षण कार्य।

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2016-17	31.66
2017-18	43.63
2018-19 (july 2018)	19.91

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	-	-	82.85	82.29	4.05	4.04		0.55	-
2016-17	-	-	90.92	89.85	3.76	3.75		1.06	-
2017-18	-	-	119.81	119.00	2.71	2.90		0.80	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2015-16	IDWH	-	103.2	103.2	-
2016-17	''	-	144.3	144.3	-
2017-18	''	-	-	-	-
2018-19	''	-	-	-	-

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई c श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 06/2017, 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018, 05/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ....-.......

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ।

उत्तराखण्डअधिप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) केअनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न किया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 245/xxvii(7)/2012 दिनांक:22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी को ₹ 5.00 लाख की सीमा तक अधिकार प्रदत्त किया गया है तथा इसके ऊपर ₹ 10.00लाख की सीमा तक वन संरक्षक को अधिकार दिया गया है।

कार्यालय उपनिदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क,उत्तरकाशी के वर्ष 2017-18 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा निर्माण एव मरम्मत कार्यों के लिए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹4428000 की लागत के 12 निर्माण एव मरम्मत कार्यों (सूची संलग्न) को बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा तिथि तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्यों की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की गयी है प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जाएगी।

अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा ₹44.28 लाख की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्ययसेसंबन्धित
भाग- 2 ब

प्रस्तर-2 अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए कार्यों को टुकड़ो में बाटकर संपादित किया जाना।

उतराखंड अधिप्राप्ति नियमावली ,2008 **के नियम 42 (1) के अनुसार** A group of works which forms one project shall be considered one work and technical administrative and financial approval from the competent authority should be taken as one work. The work should not be split just to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority**.**

उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क**,**उत्तरकाशी के अभिलेखो के लेखापरीक्षा में पाया गया की **IDWH** के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में गंगोत्री-रुद्रगैरा में बटिया कार्य को 5 टुकड़ो में बाँट कर एक ही ठेकेदार से कराते हुए ₹12,00,000 का भुगतान किया गया तथा इसी प्रकार भांगलूबासा कच्ची ढ़ांग में कार्यों को एक ही ठेकेदार को 6 टुकड़ो में ₹13,50,000 का भुगतान किया गया तथा प्रत्येक अवसर पर कार्य की सीमा ₹3.00 लाख से कम थी जिससे उक्त नियम के अनुसार उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया की प्रत्येक ठेके की सीमा ₹3.00 लाख से कम थी।निविदा पत्रो से स्प्स्ट है की प्रत्येक कार्य को टुकड़ों में अनावश्यक रूप से विभाजित किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर ₹25.50के कार्य को टुकड़ों में अनावश्यक रूप से कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/FR-21/2016-17	-	01,02	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः
शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

(1)राजस्व- संविदा पर लगाये गये श्रमिकों के मजदूरी का एवं EDF का विवरण।

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री श्रवण कुमार	उपनिदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र